

**Form No. III****फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत **कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ़****आनन्द कुमार**

बनाम

**सरकार****कार्यवाही अन्तर्गत :-****धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**

किस्म मुकदमा

**विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)**

नं०

**123**

सन्

**2023**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.11.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी वाहन स्वामी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दासौर (मध्य प्रदेश) की ओर से पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 136/2023 दिनांक 18.04.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 379 एवं 366 भादसं 1860 एवं 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्त शुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 14 HB 1451 जिसके इंजन नंबर PBP122053 एवं चैचिस नंबर MB1CTDYC5BPPC5246 को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/5493 दिनांक 31.10.2023 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित कर अवगत कराया गया कि वाहन मालिक को सिपुर्द किये जाने में किसी भी प्रकार आपत्ति नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 136/2023 दिनांक 18.04.2023 पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में जब्तशुदा वाहन एवं माल के निस्तारण बाबत अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण संख्या 012/2023(रसद) दर्ज होकर विचाराधीन है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन में पेट्रोल एवं डीजल भरा हुआ है जिसका निस्तारण मूल प्रकरण में ही किया जाना है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण को मूल प्रकरण के साथ ही सुना जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण को मूल प्रकरण संख्या 012/2023(रसद) के साथ सुनवाई हेतु रखा गया।</p> <p>प्रकरण संख्या 012/2023(रसद) में जब्तशुदा वाहन वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 14 HB 1451 जिसके इंजन नंबर PBP122053 एवं चैचिस नंबर MB1CTDYC5BPPC5246 को रूपये 12,00,000/- अक्षरे बारह लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए गये है, अतः पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।</p>	

-S/d-

(गौरव अग्रवाल)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
चित्तौड़गढ़

28.11.2023

